सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 10, मंगलवार, शाके 1944-मई 31, 2022 Jyaistha 10, Tuesday , Saka 1944- May 31, 2022	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 7, 2022

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/20/6753:-राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एकमुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट विभागीय आदेश दिनांक 31.05.2021 के द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक की अवधि तक के लिए छूट प्रदान की गई थी। प्रशासन शहरो के संग अभियान से संबंधित नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/ अभियान /2021/ मं.मं.ज्ञा.दिनांक 28.09.2021 के परिशिष्ठ-2 में अभियान अवधि में छूट दी गई थी। अतः समस्त नगरीय निकायों में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट अभियान अवधि दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ाई जाती है।

पूर्व में निस्तारित प्रकरणो को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा जमा राशि लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।